

योजना मंत्रालय

मांग संख्या 77

योजना मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	284.83	5.99	290.82	818.30	18.96	837.26	978.39	22.63	1001.02	972.35	33.71	1006.06
वसूलियां	-2.92	...	-2.92
प्राप्तियां
निवल	281.91	5.99	287.90	818.30	18.96	837.26	978.39	22.63	1001.02	972.35	33.71	1006.06
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	137.00	5.86	142.86	185.71	7.88	193.59	197.64	8.09	205.73	179.05	13.70	192.75
2. विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय	15.36	...	15.36	...	0.37	0.37
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	152.36	5.86	158.22	185.71	8.25	193.96	197.64	8.09	205.73	179.05	13.70	192.75
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
3. स्व-रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम)	96.70	0.13	96.83	144.30	10.70	155.00	94.82	14.53	109.35	380.00	20.00	400.00
4. चल रहे कार्यक्रम और स्कीमें	2.55	...	2.55	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
5. सतत विकास लक्ष्यों के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ईएपी घटक)	433.00	...	433.00	208.55	...	208.55	0.01	...	0.01
6. राज्य सहायता मिशन	21.58	...	21.58	39.99	0.01	40.00	43.69	0.01	43.70	44.99	0.01	45.00
7. आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम (एबीपी)	412.00	...	412.00	353.00	...	353.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	120.83	0.13	120.96	621.29	10.71	632.00	763.06	14.54	777.60	782.00	20.01	802.01
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान	11.30	...	11.30	11.30	...	11.30	17.69	...	17.69	11.30	...	11.30
अन्य												
9. वास्तविक वसूलियां	-2.58	...	-2.58
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	8.72	...	8.72	11.30	...	11.30	17.69	...	17.69	11.30	...	11.30
कुल जोड़	281.91	5.99	287.90	818.30	18.96	837.26	978.39	22.63	1001.02	972.35	33.71	1006.06

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	137.00	...	137.00	185.71	...	185.71	197.64	...	197.64	179.05	...	179.05
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	144.91	...	144.91	632.59	...	632.59	780.75	...	780.75	793.30	...	793.30
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.99	5.99	...	18.96	18.96	...	22.63	22.63	...	33.71	33.71
जोड़-आर्थिक सेवाएं	281.91	5.99	287.90	818.30	18.96	837.26	978.39	22.63	1001.02	972.35	33.71	1006.06
कुल जोड़	281.91	5.99	287.90	818.30	18.96	837.26	978.39	22.63	1001.02	972.35	33.71	1006.06

1. **सचिवालय:** इसमें नीति आयोग सहित मंत्रालय के सचिवालय व्यय का प्रावधान है।

2. **विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय:** इसमें विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के व्यय का प्रावधान है।

3. **स्व-रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम):** अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) एक नवोन्मेष प्रोत्साहन मंच है जिसमें शिक्षाविदों, उद्यमियों और अनुसंधानकर्ताओं को शामिल किया गया है और यह भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का उपयोग करता है। एआईएम अनुदानों, पुरस्कारों और चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करने के लिए तंत्र का सृजन करेगा। स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों में स्टार्ट-अप व्यवसायों के सभी पहलुओं और स्वरोजगार के अन्य कार्यक्रमों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी-वित्तीय, इनक्यूबेशन और सुविधा कार्यक्रम शामिल होंगे।

4. **चल रहे कार्यक्रम और स्कीमें:** इस प्रावधान का उद्देश्य नीति आयोग को विचारों के आदान-प्रदान का समर्थन करने और नए विचारों को बढ़ावा देने के अलावा बाहरी पेशेवर/विशेषज्ञ एजेंसियों और व्यक्तिगत विशेषज्ञों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कार्य करने में सक्षम बनाना है। 'नीति आयोग की अनुसंधान योजना, 2021' का उद्देश्य नीति आयोग के अधिदेश के अनुसार विभिन्न डोमेन में ऐसे शोध अध्ययनों में सहायता करना है।

5. **सतत विकास लक्ष्यों के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ईएपी षटक):** आकांक्षी जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम जिसके तहत भारत सरकार चुनौती पद्धति के आधार पर आकांक्षी जिलों को मुक्त निधियां प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अनुसार, जिलों को उनके द्वारा हासिल किए गए रैंक के आधार पर प्रत्येक माह (जनवरी 2019 से) अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाना है और इस रैंक का परिकलन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों के संबंध में हासिल की गई वृद्धिकारी प्रगति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति गठित की है। इस समिति को भारत में एसडीजी से संबंधित डेटा के अनुवीक्षण और मान्यकरण हेतु परियोजनाएं शुरू करने के अतिरिक्त आकांक्षी जिलों के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं संस्वीकृत करने का अधिकार है।

6. **राज्य सहायता मिशन:** राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) - नीति आयोग की व्यापक अम्बेला पहल है, जिसका प्रयोजन साझा विज्ञान 2047 के परिवर्तनकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक संरचित और संस्थागत तरीके से राज्यों के साथ जारी अपने सहयोग को सुदृढ़ बनाना है। इस मिशन के तहत, नीति आयोग आईआईटी या आईआईएम जैसे अग्रणी ज्ञान संस्थानों, विकास भागीदारों, बहुपक्षीय एजेंसियों और नागरिक समुदायों के समन्वय से इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य परिवर्तन संस्थान स्थापित करने में सहायता कर रहा है जो राज्यों में विकास संबंधी कार्यनीतियों की निगरानी के लिए एक बहु-विषयक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है।

7. **आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम (एवीपी):** आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एवीपी) मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके, परिणामों को परिभाषित करने और निरंतर आधार पर उनकी निगरानी करके भारत के अपेक्षाकृत दुर्गम और कम विकसित 500 आकांक्षी ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार लाने पर केंद्रित है।

8. **राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान:** राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) को सहायता का प्रावधान करता है।